न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–04, भरतपुर, राज.

पीठासीन अधिकारी : ज्योति सिंह मीना, आर.जे.एस.
दाण्डिक अपील संख्या : 05/2021 (सी.आई.एस.सं. 13/2021)
CNR No. : RJBH010004292021

सतीश चन्द खण्डेलवाल पुत्र ब्रजमोहन निवासी जयन्ती नगर, थाना कोतवाली, जिला भरतपुर, राज.

––अपीलाण्ट/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, भरतपुर ––रैस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 374 दं.प्र.सं., विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2021 न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज), भरतपुर, पीठासीन अधिकारी श्री विवेक शर्मा, वउनवानी सरकार बनाम सतीशचंद खण्डेलवाल फौज. प्र. सं. 159/2017, अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः–

01. श्री दिलीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ।

02. श्री हरेन्द्र सिंह, अपर लोक अभियोजक–राज्य पक्ष से ।

–: : आदेश : : – **दिनांकः 05.08.2026**

01. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत आपराधिक अपील विद्वान विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,(पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज), भरतपुर, के आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.01.2021 के विरूद्ध प्रथमतः माननीय सत्र न्यायाधीश, भरतपुर के समक्ष पेश की गई, जो कालान्तर में न्यायालय हाजा में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज पंजिका की गई। विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब कर संलग्न पत्रावली किया गया।

02. प्रकरण का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2009 को परिवादी रामस्वरूप प्रवर्तन निरीक्षक, शहर भरतपुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श प्रदर्श पी.4 इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 15.12.2009 को मुखबिर से प्राप्त एपीएल गेहूँ के आटे की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में गोविन्द नारायण मीणा, प्रवर्तन अधिकारी के साथ जयंति नगर, सरकुलर रोड से दक्षिण की ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित सतीश चन्द खण्डेलवाल पुत्र स्व. ब्रजमोहन खण्डेलवाल की दुकानों व दुकानों से सटे हुए मकान की जांच की गई तो जांच में मौके पर सतीशचन्द उपस्थित नहीं मिला । उसकी पत्नी के समक्ष जांच करने पर दो दुकानों में से एक दुकान में 115 कट्टे प्रति कट्टा 10 किग्रा अनुदानित आटे के मार्का वाले तथा दूसरी दुकान में 100 कट्टे सिले हुए प्रति

कट्टा 10 किग्रा अनुदानित आटे के मार्का वाले तथा 60 खुले हुए 10 किग्रा अनुदानित आटे के मार्का वाले तथा एक 50 किग्रा आटे से भरा हुआ मिला जिसको 10 किग्रा मार्का वाले आटे के कट्टों को खाली करके भरा गया । इस प्रकार दोनों दुकानों के कट्टों में कुल आटे का वजन 28 क्विंटल (275 कट्टे भरे+ एक कट्टा भरा हुआ 50 किग्रा वाला) तथा 153 कट्टे 10 किग्रा वाले खाली तथा 50 कट्टे 50 किग्रा वाले खाली कुल 203 कट्टे मौके पर पाये गये । उक्त कट्टों पर हनुमान फ्लोर मिल प्रा.लि. ई 80 एमआई एरिया अलवर फोन नंबर 2881014 तथा तीन कट्टों पर एसएसडी फूड एण्ड पेपर प्रा.लि. एफ 134 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया बस्सी जयपुर अंकित होना पाया गया । दुकान मालिक सतीश चन्द्र न तो राशन डीलर है और न कोई अधिकृत बूथ मालिक अथवा उपभोक्ता भंडार का मालिक है एवम् न ही वह राशन के आटे को बेचने के लिए अधिकृत है। उक्त प्रकरण में दुकान मालिक सतीश चन्द्र खण्डेलवाल अनुदानित एपीएल आटे की कालाबाजारी में लिप्त पाये जाने पर उसकी दुकानों से अवैध रूप से संग्रहीत 275 आटे से भरे हुए प्रति कट्टा 10 किग्रा वाले कट्टों तथा एक 50 किग्रा वाले कट्टों कुल 28 क्विंटल आटे को मयं वारदाना तथा 203 खाली कट्टों को मौके पर रूबरू मौतबिरान जब्त सरकार किया जाकर दुर्गेश सोनी, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 4 शहर भरतपुर को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर फर्द मौका जब्ती, सुपुर्दगीनामा तथा नजरी नक्शा बनाया गया । सतीश चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के खण्ड 3(2) एवम् पीडीएस नियंत्रण आदेश 2001 का उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है..आदि ।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 586/2009 अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार किया गया एवं अन्वीक्षा चाही गई ।।

05. अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 रामस्वरूप, पी.ड.2 मनोज सिंह, पी.ड.3 दुर्गेश सोनी, पी.ड.4 दुलीचंद, पी.ड.5 गुलराज तथा

पी.ड.6 गोविन्द नारायण मीणा, को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 फर्द मौका एवम जब्ती, प्रदर्श पी.2 सुपुर्दगीनामा, प्रदर्श पी.3 नजरी नक्शा, प्रदर्श पी.4 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी.5 चाकशुदा एफआईआर, प्रदर्श पी.6 नक्शा मौका, प्रदर्श पी. 7 कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर का पत्र दिनांक 24.12.2009, प्रदर्श पी.8 व प्रदर्श पी.9 खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमशः दिनांक 22.10.2009 तथा 6.11.2009 तथा प्रदर्श पी. 10 पुलिस बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता गुलराज को प्रदर्शित करवाया गया।

06. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा में अभियुक्त ने स्वयं को डी.ड.1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में किरायानामा, नक्शा, अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी.1 को प्रदर्शित करवाया ।

07. तत्पश्चात् योग्य विचारण न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज), भरतपुर द्वारा बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनकर पत्रावली पर मौजूद अभियोजन साक्ष्य का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय दिनांकित 30.01.2021 के द्वारा अभियुक्त सतीश चन्द खण्डेलवाल को अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10,000/- रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर ही अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

08. बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

09. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने कथन किया है कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह सावित हो कि ए.पी.एल. गेहूं के आटे के कटटे प्रार्थी/अपीलान्ट के कब्जे शुदा मकान/दुकान से जब्त हुये हो तथा जब्तशुदा आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली ए.पी.एल. का हो क्योंकि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लू. 4 दुलीचन्द ने इस वावत कटटों पर अंकित हनुमान फ्लोर मिल प्रा० लि० ई 80 एम.आई.एरिया अलवर फोन नं० 2881014 व 3 कटटों पर अंकित एस.एस.डी.फुड एण्ड पेपर प्रा०लि० एफ 134 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया बस्सी जयपुर से कोई तफतीश नहीं एवं वहां से कोई रिकार्ड प्राप्त

नहीं किया व भरतपुर डी.एस.ओ. आफिस से भी वितरण वावत कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं किया न ही आटे का सैम्पल लेकर मिलान करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है कि गोविन्द प्रसाद राशन डीलर द्वारा ली गई किराये की दुकानों को डी.एस.ओ. कार्यालय द्वारा निरस्त किया गया किरायानामा प्रार्थी अपीलान्ट/अभियुक्त व गोविन्द प्रसाद राशन डीलर के मध्य निरस्त नहीं हुआ। गोविन्द प्रसाद द्वारा प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 30.03.2007 से निरन्तर 15.12.2009 तक प्रार्थी की दुकानों पर राशन डीलर गरेविन्द प्रसाद का कब्जा था। इस प्रकार प्रार्थी के केस में धारा 10 (सी) (2) ई.सी.एक्ट का तथ्य स्पष्ट सावित किया है क्योंकि वकत जब्ती प्रार्थी मौके पर नहीं था प्रार्थीकी पत्नी व कोई भी परिवारीजन मौके पर नहीं था किसी भी कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं है दुकानों को किराये पर दे रखा था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल न कर प्रार्थी को दोषसिद्धि करने में कानूनी त्रुटि की है। पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 6 गोविन्द नारायण रामस्वरुप प्रवर्तन निरीक्षक ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि कटटों पर अंकित होने के कारण ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कटटे मान लिये थे ऐसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुले हुये कटटे बाजार में बिक जाते है और बाजार में मिल जाते है। आस पडौसी के बयान व साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पी.डब्लू. 1 रामस्वरुप अपने बयान में यह कहता है कि गुलराज व मनोज सडक पर जा रहे थे उनको रोक कर बुलाया लेकिन इसके विपरीत गवाह मनोज पी.डब्लू. 2 ने अपने बयान में कहा है कि रामस्वरुप प्रवर्तन निरीक्षक का मेरे पास फोन आया कि आप जयन्ती नगर आ जाओ इस पर मैं पहुँचा रामस्वरुप को पहले से जानता था मेरे सामने पडौसीयों के फर्दो पर हस्ताक्षर नहीं कराये फर्दो पर लिखा पढी किसने की नहीं पता पी.डब्लू. 3 दुर्गेश सोनी अपने बयान में कहता है कि सभी फर्दो पर कार्यवाही के दिन 15.12.2007 को ही हस्ताक्षर कराये पुलिस वंहा नहीं थी लेकिन प्रदर्श पी 6 दिनांक 19.12.2009 को बनायी गयी है दुलीचन्द ए.एस.आई. द्वारा बनाई गई है। पी.डब्लू. 5 गुलराज प्रोसीक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है पक्षद्रोही है और पक्षद्रोही गवाह का बयान अभियुक्त की डिफैन्स की सम्पुष्टि में लिया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही गवाह के बयान को अभियोजन की सम्पुष्टि में मानकर कानूनी त्रुटि की है। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलाण्ट/अभियुक्त ने दौराने बहस जाहिर किया कि परीक्षित किसी भी गवाहन ने यह जाहिर नहीं किया कि किस कन्ट्रॉल एक्ट के तहत मुलजिम का कार्य धारा 03 आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि में आता है, ना ही मुलजिम के मालिकाना हक के कोइ दस्तावेजात अनुसंधान अधिकारी ने प्राप्त किए और ना ही जब्तशुदा माल के संबंध में यह अनुसंधान किया

कि वह मालखाना से प्राप्त हुआ है । ऐसी स्थिति में जप्त फर्दें संदिग्ध हैं । अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी/मुलजिम की यह अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का दोषसिद्वि व दण्डादेश तारीखी 30.01.2021 अपास्त किया जाकर अभियुक्त/अपीलान्ट को धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न माननीय न्यायिक दृष्टान्त पेश किए–

1. 2012(1) Cr.CC 712 Bholi Kumar Vs State of Jharkhand
2. 2012(2) Cr.CC 608 State of Rajasthan Vs Shankarlal Tikkiwal
3. 2024 Cr.L.R. SC 35 Suresh Vs State of Madhya pradesh
4. 2016(1)Cr.L.R. 506 Karamjeet singh Vs State of Rajasthan
5. 2014(4) Cr.L.R. 1931 State of Rajastha Vs Mahendraraj Bhandari

10. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश को विधि सम्मत बताया और अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

12. वर्तमान अपील के अंतर्गत इस अपीलीय न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि **क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/दंडादेश दिनांकित 30.01.2021 तथ्य, साक्ष्य एवं विधि की कोई त्रुटि लिए हुए है अथवा पोषणीय है**?

13. इस संबंध में आक्षेपित निर्णय का विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि "प्रवर्तन निरीक्षक रामस्वरूप (परिवादी) ने दिनांक 15.12.2009 को मुखबिर से एपीएल गेहूं के आटे की कालाबाजारी की सूचना पर सतीश चन्द की दुकानों व मकान की मौके पर सतीशचन्द की पत्नी की उपस्थिति में जांच करने पर दुकानों से कुल 28 क्विंटल आटा (275 कट्टे 10 किग्रा व 1 कट्टा 50 किग्रा) तथा 203 खाली कट्टे जब्त किए गए। जिन्हें परिवहन करने, बेचने व कब्जे में रखने का उसके पास कोई लाईसेंस नहीं था, के अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध रखा जाना विधि–सम्मत है?"

14. जिस संबंध में न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रकट होता है कि अभियोजन का संपूर्ण मामला इस धारणा पर आधारित था कि जब्त आटा सरकारी अनुदानित ए.पी.एल. का था। परन्तु अनुसंधान अधिकारी (पी.डब्ल्यू. 4 दुलीचंद) ने जब्तशुदा आटे का कोई भी नमूना (Sample) नहीं लिया और न ही उसे किसी प्रयोगशाला या विभागीय मिलान हेतु भेजा। कट्टों पर अंकित हनुमान फ्लोर मिल व एस.एस.डी. फूड एण्ड पेपर प्रा. लि. से कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया। अभियोजन को यह सिद्ध करना पडेगा कि वह माल किस डीलर/गोदाम/आपूर्ति चैनल से निकला था । अभियुक्त के पास वह माल किस अधिकार या स्रोत से आया, संबंधित नियंत्रण आदेश का कौन सा प्रावधान अभियुक्त ने तोडा, साथ ही सप्लाई रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, आवंटनपत्र, परिवहन दस्तावेज भी न्यायालय में पेश करना पडेगा व सिद्ध करना पडेगा। इसके अलावा पी.डब्ल्यू. 1 व पी.डब्ल्यू. 6 ने स्वयं स्वीकार किया कि PDS ब्रांडिंग वाले खाली कट्टे बाजार में सुलभता से मिल जाते हैं। बिना रासायनिक या आधिकारिक मिलान के केवल बोरी के मार्का के आधार पर माल को PDS का आटा नहीं माना जा सकता। क्योंकि बिना जांच के यह नहीं माना जा सकता कि जब्तशुदा माल सरकारी आपूर्ति का माल है अथवा नहीं ।

15. इसके अलावा आपराधिक मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध जब्ती के समय उसका 'चेतन एवं अनन्य कब्जा' (Conscious and Exclusive Possession) सिद्ध करना अभियोजन का प्राथमिक दायित्व है। पत्रावली के अनुसार जब्ती की कार्यवाही (15.12.2009) के समय अभियुक्त सतीश चन्द मौके पर उपस्थित नहीं था। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किरायानामा प्रदर्श डी–1 से स्पष्ट है कि दुकानें पूर्व में ही राशन डीलर गोविन्द प्रसाद को किराये पर दी जा चुकी थीं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चाहे मुलजिम द्वारा स्वयं का मकान स्वीकार भी कर लिया हो, तो भी प्रवर्तन अधिकारी को उक्त परिसर/दुकानों के संबंध में दस्तावेजात प्राप्त कर शामिल मिसल करने चाहिए थे। डी.एस.ओ. कार्यालय द्वारा लाइसेंस निरस्त करने मात्र से नागरिक कानून (Civil Law) के तहत किरायेदार का भौतिक कब्जा स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। अतः दुकानों में रखे माल पर अभियुक्त का चेतन कब्जा सिद्ध नहीं होता। इसके अलावा जब्ती की फर्द का कथित गवाह पी.डब्ल्यू. 5 गुलराज अभियोजन के पक्ष का समर्थन न करते हुए पक्षद्रोही (Hostile) घोषित हुआ। पी.डब्ल्यू. 1 रामस्वरूप के अनुसार गवाहों को सड़क से रोककर बुलाया गया, जबकि पी.डब्ल्यू. 2 मनोज के अनुसार उसे फोन करके बुलाया गया था। प्रकरण के मुख्य जांच अधिकारी (तत्कालीन डी.एस.ओ. गजानन्द खींची) एवं चालान प्रस्तुत करने वाले एस.एच.ओ. को न्यायालय में

परीक्षित नहीं करवाया गया, जिससे अभियोजन कथानक में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

16. न्यायालय का मत यह है कि धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उसने धारा 3 के तहत जारी किसी विशिष्ट 'नियंत्रण आदेश' (Control Order) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। वर्तमान मामले में अभियोजन का कोई भी साक्षी (पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 6) यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त पर कौन सा नियंत्रण आदेश लागू होता था और उसने उसके किस नियम का उल्लंघन किया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में देखा जाए तो जब्तशुदा माल के संबंध में प्रदर्श पी.1 में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य (आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन) 1976 के तहत आदेश का उल्लंघन होना पाए जाने के कारण हस्तगत मुकदमा मूर्तिव किया गया है, किन्तु उक्त अधिसूचना की किस शर्त का उल्लंघन है, ऐसा अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में साबित नहीं किया है । बिना किसी नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के, धारा 3/7 के तहत दायित्व तय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी वस्तु के व्यापार, भंडारण या वितरण के नियंत्रण हेतु आदेश जारी किए जाते हैं। जब अभियोजन यह साबित ही नहीं कर पाया कि माल PDS का अनुदानित आटा था, माल पर अभियुक्त का चैतन्य कब्जा था, और किस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन हुआ है । तब कथित कृत्य धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि में कतई नहीं आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पीड.1 यह तो कहता है कि वह उक्त कार्यवाही किए जाने के लिए अधिकृत था, किन्तु कोई लिखित आदेश उसने पेश नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक नियंत्रण आदेश के तहत जारी अधिसूचना में कौन व्यक्ति ऐसी कार्यवाही करेगा या कौन अधिकारी प्राधिकृत किया गया है, इसका हवाला होता है । धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामलों में जब्ती की शक्ति सीधे अधिनियम से हर अधिकारी को नहीं मिलती, बल्कि संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना/नियंत्रण आदेश में अधिकृत किए गए अधिकारियों को मिलती है । इसलिए केवल पदनाम, प्रवर्तन अधिकारी होना पर्याप्त नहीं है । अभियोजन को यह दिखाना पडेगा कि वह अधिकारी, ऐसी कार्यवाही करने हेतु विधिवत अधिकृत था । हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आदेश प्रदर्शित नहीं करवाया, इस कारण जब्ती की वैधता पर भी संदेह उत्पन्न होता है। इस प्रकार अभियोजन ने हस्तगत प्रकरण में आरोप तय करने के मूल निम्न बिन्दुओं को साबित नहीं किया, जो कि ई.सी. एक्ट में अति आवश्यक होते हैं– 1. माल वास्तव में PDS का था, 2. वह अभियुक्त के चैतन्य कब्जे में था, 3. मुलजिम ने किस नियंत्रण आदेश की किस शर्त का उल्लंघन किया, 4. कार्यवाही करने वाला अधिकारी प्राधिकृत था ।

17. अधिवक्ता अपीलाण्ट/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टान्त 2012 (1) Cr.C.C. 712 – Bholi Kumar Vs State of Jharkhand में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र जब्ती के आधार पर बिना यह सिद्ध किए कि जब्तशुदा माल किसी विशेष 'नियंत्रण आदेश' (Control Order) के तहत आता है, अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान मामले में भी अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त ने किस विशिष्ट नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया है। अतः यह दृष्टांत अपीलांट के मामले में पूर्णतः लागू होता है। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलाण्ट/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) Cr.C.C. 608 – State of Rajasthan Vs Shankarlal Tikkiwal में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि जब्तशुदा माल का रासायनिक/विभागीय नमूना (Sample) लिए बिना और बिना किसी आधिकारिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के केवल बोरियों या कट्टों पर अंकित मार्का के आधार पर माल की प्रकृति सिद्ध नहीं मानी जा सकती। प्रस्तुत प्रकरण में भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त आटे का कोई नमूना नहीं लिया गया। अतः यह दृष्टांत अपीलांट का पूर्ण समर्थन करता है एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टान्त 2024 Cr.L.R. (SC) 35 – Suresh Vs State of Madhya Pradesh में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, आपराधिक मामलों में जब्ती के स्थान व संपत्ति पर अभियुक्त का 'चेतन एवं अनन्य कब्जा' (Conscious and Exclusive Possession) सिद्ध करने का प्राथमिक भार अभियोजन पर होता है। पत्रावली के अनुसार जब्ती के समय अपीलांट मौके पर उपस्थित नहीं था तथा दुकानें पूर्व से ही राशन डीलर को किराये पर दी जा चुकी थीं। अतः चेतन कब्जा सिद्ध न होने के कारण यह दृष्टांत अपीलांट के पक्ष में पूरी तरह लागू होता है। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलाण्ट/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) Cr.L.R. 506 – Karamjeet Singh Vs State of Rajasthan एवं 2014 (4) Cr.L.R. 1931 – State of Rajasthan Vs Mahendraraj Bhandari उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब्ती के निर्दलीय गवाहों के पक्षद्रोही (Hostile) हो जाने, गवाहों के कथनों में परस्पर गंभीर विरोधाभास होने तथा मुख्य जांच अधिकारी को परीक्षित न कराए जाने की दशा में अभियोजन का पूरा मामला संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में भी स्वतंत्र गवाह (पी.डब्ल्यू. 5) पक्षद्रोही रहा है एवं गवाहों के कथनों में विरोधाभास मौजूद है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त सतीश चन्द खण्डेलवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अपराध को संदेह से

परे सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सम्यक् अनुशीलन न करते हुए तथा विधिक सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। निष्कर्षतः, अपीलांट/अभियुक्त की ओर से पेश किए गए उपर्युक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 30.01.2021 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, इसे अपास्त किया जाना एवं अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

18. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त सतीश चन्द खण्डेलवाल पुत्र बृजमोहन, निवासी जयन्ती नगर, थाना कोतवाली, जिला भरतपुर, राज. की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील विरूद्ध आलौच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांक 30.01.2021 एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय (न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज), भरतपुर) द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 30.01.2021 को अपास्त (Set Aside) किया जाता है । अभियुक्त सतीश चन्द खण्डेलवाल पुत्र बृजमोहन को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से संदेह के आधार पर दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे ।

(ज्योति सिंह मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, सं.04
भरतपुर, राज.

19. निर्णय आज दिनांक 05.08.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मंद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति सिंह मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, सं.04
भरतपुर, राज.